पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-13.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स०	"भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा विधान-सभा क्षेत्र का बड़हरा प्रखंड में सिंचाई साधनों के अभाव में घोर संकट उत्पन्न हो गया है । यहां नहर नहीं है । राजकीय नलकूप 80 प्रतिशत से अधिक खराब है । लेकिन बड़हरा क्षेत्र के किसानों की घोर उपेक्षा प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है । 2009-10 में भोजपुर जिला को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया जिसके बाद सभी प्रखंडों के नहरी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के के.सी.सी. धारकों को फसल बीमा की राशि दी गयी परन्तु बड़हरा प्रखंड के किसानों को आजतक बीमा राशि नहीं दी गयी । उसी तरह से 2010-11 में बाढ़ से बड़हरा प्रखंड के किसानों की फसल नष्ट हो गयी परन्तु 2010-11 में भी के.सी.सी. धारकों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली जबकि यहां के के.सी.सी. धारक किसानों से बैंक द्वारा फसल बीमा का अंशदान लिया जाता रहा है । स्थानीय स्तर पर किसानों द्वारा 2009-10 से आजतक गुहार लगायी जा रही है परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है । अतएव भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के के.सी.सी. धारकों को फसल बीमा की राशि दिये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

1	2	3	4
2.	श्री श्रवण कुमार, स०वि०स० श्री रतनेश सादा, स०वि०स० डॉ. अच्युतानन्द, स०वि०स० डॉ. इजहार अहमद, स०वि०स० श्री रामधनी सिंह, स०वि०स० श्री रामानंद राम, स०वि०स० डॉ. अरूण कुमार, स०वि०स० श्री आलोक रंजन, स०वि०स० श्री रामेश्वर पासवान, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स० श्री हरि नारायण सिंह, स०वि०स०	"श्री जितेन्द्र मिश्रा भिच्छु नामक व्यक्ति द्वारा सहकारिता विभाग से निबंधन कराकर वर्ष 1995-96 में बेगूसराय में अरबन डेवलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० खोलने के पश्चात् आम जनता से जालसाजी कर करोड़ों रूपये की ठगी की गई, जिसके लिये बेगूसराय नगर थाना काण्ड सं०-300/99 एवं 214/99 दर्ज है और अनुसंधान के क्रम में उसे फरारी घोषित करते हुए मामले को रफा-दफा कर दिया गया, लेकिन उसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम में भिच्छु शब्द हटा कर वर्ष-2004 में सहरसा में कोशी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि० के नाम से निबन्धित कराकर सुपौल, मधेपुरा एवं भागलपुर में उसकी शाखा खोलते हुए पुनः जालसाजी कर आम जनता से करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही है, फिर भी सहकारिता विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर जाँच में टाल-मटोल की जा रही है । अतः उक्त मामले की जांच कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सहकारिता

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/13- 254 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/13- 254 / वि०स०, पटना, दिनांक- 12 मार्च, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

12/3/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।